प्रेस नोट **दिनांक 21.02.2026**

आज दिनांक 21.02.2026 को तहसील मुहम्मदाबाद गोहना में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की गई। समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

साथ ही साथ महोदय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राजस्व तथा आपदा विभाग के अन्तर्गत बीमा योजना के लाभार्थी किसानो को (one click DBT) के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि वितरित की गयी।

बहला-फुसला कर ठगी करने वाली 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 21.02.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा ग्राम रसुलपुर के प्रार्थिनी लक्ष्मीना पत्नी संजय सोनकर जो दिनांक 20.02.2026 समय 13.00 बजे दिन में अपने घर पर बैठी थी कि उसी समय दो महिलाएँ भीख माँगने के बहाने से आई और प्रार्थिनी लक्ष्मीना को अपनी बातों में उलझा कर उन्हे सम्मोहित कर उनके घर से कपड़े व पहने जेवर उतरवाकर लेकर चली गयी कि सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0064/2026 धारा 318(4)/62 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया तथा इस सूचना के आधार पर प्रार्थिनी लक्ष्मीना द्वारा बताये गये हुलिया के आधार पर थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.02.2026 को समय करीब 11.00 बजे बोझी बाजार के पास से दो महिलाओं ।. गुड्ड्डी पत्नी अलीशेर निवासी सूरजपुर थाना मधुबन मऊ 2. संजू पत्नी स्व) ताहिर निवासी सूरजपुर थाना मधुबन मऊ को वादिनी के पहचान के आधार पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वादिनी से छल व सम्मोहित कर लिये गये कपड़े व जेवरात बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण-

1. गुड्डी पत्नी अलीशेर निवासी सूरजपुर थाना मधुबन मऊ उम्र करीब 40 वर्ष।
2. संजू पत्नी स्व० ताहिर निवासी सूरजपुर थाना मधुबन मऊ उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0064/2026 धारा 318(4)/62 बी.एन. एस थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी
2. उ0नि0 प्रकाश सिंह
3. म0उ0नि0 रिचा सोनी
4. म0का0 काजल सिंह
5. का0 अवनीश कुमार
6. का0 विराट पटेल

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 5000/- रु0 कुल धनराशि (पांच हजार रुपये) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 5000/- रु0 कुल धनराशि (पांच हजार रुपये) पीडित शहजाद अहमद पुत्र आबताब निवासी दोहराघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 5,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 6000 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एसपीएल प्रथम एससीएसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 21-02-2026 को मु0अ0सं0 607/2011धारा ,323, 34,325, 34, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट थाना मधुबन मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1. रामबदन उर्फ बदन पुत्र स्वर्गीय नौरंग यादव 2. साहब यादव पुत्र स्वर्गीय नौरंग यादव3. चंपा देवी उर्फ चिंता पत्नी चैतू उर्फ सुदामा यादव समस्त निवासीगण मदुई थाना मधुवन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के

सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 6000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सिताबू शाह का सराहनीय योगदान रहा।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय महिला कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 21-02-2026 को मु0अ0सं0 117 /2005 धारा 354 भा0द0वि0 थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश उर्फ कल्लन चौहान पुत्र विंध्याचल चौहान निवासी बकराबाद हाल पता चकरा थाना हलधरपुर मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।